हुक्म | की तारीख

26.2.2016 दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई थी। प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया था, कि अप्रार्थीगण की ओर से धोखाधड़ीपूर्ण वाद लाया गया है, जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। विवादित भूमि पर स्थगन आदेश जारी हो रखा है, जो मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

इसके विपरीत विपक्षी पक्षकार ने दौराने बहस निवेदन किया था, कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर आवेदन-पत्र पेश किया गया है, जिसमें सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त कर विपक्षी को मकान, टांका निर्माण, तारबंदी व कच्चा मकान निर्माण इत्यादि कार्य नहीं करने दे रहे हैं। जिसके कारण विपक्षी को हानि हो रही है अतः स्थगन आदेश को अपास्त किया जावे।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर गौर पश्चात् पाया कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से धोखाधड़ीपूर्ण वाद लाया गया है, जो

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूलवाद में कागजात सबूतों के आधार पर तय होगा कि वादीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित भूमि पर विपक्षी की मालिकाना भूमि पर मकान, टांका, तारबंदी व सड़क निर्माण कार्य करने से रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता है लेकिन कार्य की अनुमति दी जानी उचित प्रतीत होती है। साथ ही विपक्षी को बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 23.06.2025 में आंशिक संशोधन कर खसरा नम्बर 153 व 176 में विपक्षी को मकान मरम्मत, टांका निर्माण, तारबंदी व सड़क निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही विपक्षीगण को मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का बेचान नहीं करेंगे।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा